तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/12/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त/भ्रमण/ अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 15.2.21 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
15-02-21	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त/भ्रमण/ अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 25-02-21 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत.	
25/2/21	वकुलाय उप.। उभयपक्ष बहस प्रारम्भ हेतु समय चाहते है जो दिया जाता है पूर्व मे पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आइन्दा दि. 09/03/21 को पेश हो। तहसीलदार	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
9/3/2021	वकुलाय उपस्थित । बहस वकुलाय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट 1955, सहपठित आदेश 39 नियम 1–2 सीपीसी रेडविथ धारा 151 सीपीसी सूनी गई एवं समायत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट0 1955 पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम बगडी नगर चक संख्या एके में प्रार्थी के पूर्वजो, दादा, पडदादा के समय से सयुक्त परिवार की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नं. 2105, रकबा 0.62 है. ख.नं. 2106 रकबा 0.97 है. एवं ख.नं. 514 रकबा 1.42 है कि कृषि भूमि वाके आई हुई है। जिस कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही हिस्सा आता है। प्रार्थी के दादा के जीवन काल से ही प्रार्थी का जन्म से ही हो गया था। प्रार्थी के वंशावली सजरा अनुसार मालाराम के तीन पुत्र टीकमराम, रामाराम, इन्दाराम प्रथम टीकमराम के दो पुत्र भीका ना औलाद फौत व पुखाराम के चार पुत्र/पुत्रियां जगदीश, प्रकाश, पारस, मांगीदेवी द्वितीय पुत्र रामाराम के दो पुत्र वेनाराम व खीवाराम तथा तृतीय पुत्र इन्दाराम के एक पुत्र नेनाराम, नेनाराम के दो पुत्र नेमाराम व भंवराराम उक्त वंशावली के अनुसार सरहद मौजा ग्राम बगडी चक संख्या एक में स्थित कृषि भूमि ख. नं. 2105 में प्रार्थी के दादा पडदादा टीकम जी का 1/3 हिस्सा रामाराम का 1/3 हिस्सा तथा इन्दाराम का 1/3 हिस्सा है। टीकमराम जी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी जगदीश का 1/15 हिस्सा, प्रकाश का 1/15 हिस्सा, पारस का 1/15 हिस्सा, मांगीदेवी का 1/15 हिस्सा आता है। जो हिस्सा प्रार्थी का जन्म से है तथा प्रार्थी मौके पर काबिज है। लेकिन अप्रार्थीगण ने फर्जी रजिस्ट्री एवं बंटवाडा के आधार पर ख0नं. 2105 के बटा नम्बर 2105/1, 2105/2 व 2105/3 गलत दर्ज करवा दिये। प्रार्थी के पिता अनपढ़ व भौली प्रवृति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी अपनी पढ़ाई छोड़कर कमाने हेतु बाहर बैगलोर जाता है तथा हर वर्ष घरेलू कार्य होने पर आता है। प्रार्थी के पिता पुखराज द्वारा अप्रार्थी सं. एक मुन्नी देवी के पक्ष के बेचाण रजिस्ट्री कब निस्पादित की उसकी जानकारी नही है। उसके पश्चात भी अप्रार्थीनी मुन्नीदेवी एवं उनके भाई वेनाराम व खीवाराम ने मिलावट कर प्रार्थी को नुकसान पहुचाने की नियत से बिना कोई प्रतिफल की राशि दिये दिनांकः 07.07.1997 को फर्जी तरीके से बेचान रजिस्ट्री निष्पादित करवा दि जो बेचान रजिस्ट्री शुरू से ही प्रार्थी के विरूद्ध शुन्य व अप्रभावी है क्योकि उस वक्त प्रार्थी नाबालिक था। अप्रार्थी सं. एक ने नाजायज तरीके से अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रण कर दीवार बनवा दी है तथा प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि जिसका मौके पर दादा टीकमजी के समय से बंटवाडा हो चुका है लेकिन वेनाराम व खीवाराम ने अपनी बहिन मुन्नी देवी को नाजायज फायदा पहुचाने की नियत से प्रार्थी के पिता पुखराज ने अनपढ़ व भोला स्वभाव का फायदा उठाकर बेचाण रजिस्ट्री फर्जी तरीके से निष्पादित कर प्रार्थी अप्रार्थीनी मुन्नी देवी को मौके पर माफिक बन्टवाड़ा से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अर्थात फन्ट स्थान पर जबरदस्ती हिस्सा लेकर रास्ता पर भी अतिक्रमण कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया है जो प्रार्थना पत्र का भाग एवं अंग है जो प्रदर्श एक	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम मे जारी हुआ।
	है। प्रार्थी के पिता से उक्त कृषि भूमि फर्जी व कूटरचित तरीके से बिना ज्ञान के अभाव से करवाई जो शुरू से ही शून्य है। इसलिये प्रार्थी के पिता पुखराज को 1/15 हिस्सा से ज्यादा 1/2 हिस्सा की बेचान रजिस्ट्री कराने कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थी ने दीवार के सम्बन्ध में आपत्ति की लेकिन अप्रार्थी नही माने तथा प्रार्थी को बेरे से बेदखल करने की धमकी दी व ऐलानियां कहा कि हमने मौके पर पटवारी से एवं एस.डी.ओ. कोर्ट से बन्टवाडा करवा दिया है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांकः 23.06.2014 को हुई। दिनांकः 01.07.2014 को प्रार्थी द्वारा एस.डी.ओ कोर्ट में मुन्नी देवी बनाम पुखराज पत्रावली के नकले हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 03.07.2014 को नकले प्राप्त हुई तब से प्रार्थी ने अपने पिता को उक्त कृषि भूमि के बारे में दावा बाबत व दस्तख्त बाबत जानकारी चाही तो बताया कि मुन्नीदेवी के पति भानाराम एवं खीवाराम, वेनाराम द्वारा मुझे अलग अलग समय मे पेन्शन का कहकर लेकर गये थे तथा मैने कोई बन्टवाडा नही करवाया है। एक अनपढ व्यक्ति द्वारा एस.डी.ओ कोर्ट के समक्ष दिनांकः 14.09.2011 को दिये बयान पुखराज के नही है उक्त बयान बहुत ही हिन्दी व क्लिस्ट भाषा में लिखे है। जो बयान प्रार्थी के पिता नही दे सकते है केवल मात्र अप्रार्थीनी मुन्नीदेवी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा सन्धि कर गलत तरीके से प्रार्थी के पिता पुखराज से सही तथ्य छुपाकर व अनपढ व भोली प्रवृति का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व मूल वाद सं. 27/2011 में गलत रूप से डिक्री करवाया है जो वाद पत्र पर निर्णय व डिक्री दिनांकः 30.04.2012 का प्रार्थी के विरूद्ध शुन्य एवं अप्रभावी है। प्रार्थी के पिता पुखराज के अंगुष्ठ निशान भी गलत करवाये है पटवारी हल्का बगडी चक सं. एक द्वारा दिनांकः 18.02.2012 को जो मौका फर्द बनाई गई है वह बिल्कुल ही गलत व झुठी है मौका फर्द के अनुसार मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण आज भी काबिज नही है। अप्रार्थीनी मुन्नीदेवी को नाजायज फायदा पहुचाने हेतु खीवाराम एवं वेनाराम ने आपराधिक षडयन्त्र कर सम्पूर्ण विधि विरूद्ध कार्य किया है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.04.2012 को नाजायज तरीके से बंटवाडा करवाया उक्त बंटवाडा की आड में दिनांकः 22.05.2014 को आबादी में संपरिवर्तन कराने व तरमीम करवाने की कोशिश की जो सम्पूर्ण विविध कार्यवाहीयां प्रार्थी के विरूद्ध शुन्य है व कानून के विपरीत है। अप्रार्थीगण ऐलानियां कहते है कि हम दिनांकः 30.04.2012 के बंटवाड़ा के अनुसार लाठी लकडी के बल पर मौके पर नाजायज कब्जा कर प्रार्थी की मेहन्दी की फसल को नष्ट करने को उतारू है व प्रार्थी की कृषि भूमि नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. में आने जाने हेतु रास्ता मार्क ई.डी.जी.एफ. भी बन्द कर दिया है। तथा कृषि भूमि मार्क एच.आई.जे.के. में 12 फुट चौडा रास्ता मार्क है। एमएलओजे भी बन्द कर दिया है। प्रार्थी की कृषि भूमि मे उपयोग, उपभोग, निराई, गुडाई, बुवाई, अवेराई मे व्यवधान पैदा कर दिया है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पिता के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर दिनांकः 07.07.1997 की फर्जी तरीके से बेचाण रजिस्ट्री करवाई तथा वाद पत्र सं. 27/2011 में पुखराज ने कभी भी अधिवक्ता नियुक्त नही	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
	किया। सम्पूर्ण वाद पत्र की कार्यवाही में पेन्शन का कह कर जवाब दावा, साक्ष्य व आदेशिका पर अंगुष्ठ निशान करवारकर गलत तरीके से दोनो अधिवक्ता द्वारा सन्धि कर निर्णय पारित करवाया है जबकि माफिक प्रारम्भिक डिक्री व अन्तिम डिक्री के अनुसार मौके पर पक्षकारान आज भी काबिज नही है। इसलिये बेचाण रजिस्ट्री दिनांकः 07.07.1997 व निर्णय दिनांकः 30.04.2012 के विरूद्ध शुन्य है तथा अप्रभावी है। उक्त आधार पर ख. नं. 2105/3 का आबादी मे संपरिवर्तन भी शुन्य व अप्रभावी है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जिसका अप्रार्थीगण मुन्नीदेवी खीवाराम वेनाराम ने हिस्से से भी ज्यादा सम्पति हडपना चाहते है प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा करते है। प्रार्थी को उसके दादा पडदादा व हिन्दू सयुक्त परिवार की भूमि में कानूनी हक बाई बर्थ (जन्म से) है। उसके बावजूद अप्रार्थीगण लाठी लकडी के बल पर कृषि भूमि हडपना चाहते है। जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही है। उक्त कृषि भूमि ख.नं. 2105 का प्रार्थी के उपयोग उपभोग में आने जाने से अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न नही करे एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के प्रार्थी का 1/15 हिस्सा अलग से दिलाया जावे तथा प्रार्थी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे। दिनांकः 07.07.1997 की बेचाण रजिस्ट्री व विविध कार्यवाहियां दिनांक 30.04.2012 एव 25.04.2014 का आबादी की कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्ध शुन्य एवं अप्रभावी घोषित कि जावे। वादस्थ भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थी के उपयोग उपभोग खडाई बुवाई फसल की निराई गुडाई देखभाल एवं अवेराई में प्रार्थी के कृषि भूमि मे आने जाने एवं मजदुर ट्रेक्टर ट्रक गाडी छकडा आदि लाने ले जाने में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई बाधा ताफैसला मूल वाद नही करने हेतू अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जावे। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। सूविधा का सन्तुलन एवं सहूलियत का पलड़ा भी प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध एवं प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद जारी कि जाना आवश्यक है। अन्यथा अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने कब्जा काश्त एवं खातेदारी कृषि भूमि में उपयोग उपभोग वगैरा में व्यवधान पैदा करेगे तथा प्रार्थी को बेदखल कर देगे। प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि में नाजायज कब्जा कर उमें निर्माण वगैरा कर मौके की स्थिति में भारी परिवर्तन क देगे। जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान होगा। प्रार्थी के हिस्से की भूमि को बेचाण, बख्शीश, रहन, वसीयत आदि कर देगे। जिससे प्रार्थी के कानूनी अधिकारो पर पर भारी कुठाराघात होगा। प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूप्यो में नही आकां जा सकेगा। इसलिए ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी के उपरोक्त मूल वाद पेश करने का मदसद ही समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द फरमाया जावे कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी नगर चक सं. 1 में स्थित ख.सं. 2105, व उसके बटा नम्बर 2105/1, 2105/2, 2105/3 व ख.नं. 2106 व 514 कुल रकबा 3.0100 है. की कृषि भूमि को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बन्टवाड़ा नही होने तक	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
	अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को बेचाण, बख्शीश, रहन, या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करे तथा उक्त कृषि भूमि मे ख. नं0 2105 तथा उसके बनाये गये बटा नं. 2105/1, 2105/2, 2105/3 में तथा ख. नं. 2106 व 514 में किसी प्रकार की कोई नीवे नही खोदे, दीवार नही बनाये तथा मकान नही बनावे तथा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे एवं न ही अपने नौकर, एजेन्ट आदि से करावे। उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 10 आबादी में संपरिवर्तन नही करे। तथा अप्रार्थी सं. दस के समक्ष अप्रार्थी सं. एक से नौ द्वारा कोई हस्तान्तरण विलेख वादस्थ भूमि बाबत पेश किया जाता है तो उसे ताफैसला मूल वाद किसी प्रकार से पंजीयन नही करे। प्रार्थी के कब्जे काश्त में कृषि भूमि के उपयोग उपभोग तथ फसल की निराई, गुडाई, खडाई, बुवाई, अवेराई एवं मेहन्दी की फसल में कटाई वगैरा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा ताफैसला मूल वाद व्यवधान पैदा नही करे। अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 01 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 मे अंकित तथ्य मिथ्या व गलत है। प्रार्थी द्वारा गलत वंशावली पेश की गई है, जिसमें मालाराम की पुत्रीयां टीकमराम, रामाराम, व इन्दाराम की पुत्रीया तथा अन्य सजरा खानदान की महिलाओं के नाम अंकण नही किया है। प्रार्थी का यह लिखना कि खसरा नम्बर 2105 में प्रार्थी के दादा परदादा टीकमजी का 1/3 हिस्सा निहित हो, बल्कि प्रार्थी के परदादा कौन थे व क्या नाम था, इसके बारे में कोई स्पष्ट कथन नही किया है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि टीकम जी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी जगदीश का 1/15 हिस्सा, प्रकाश का 1/15 हिस्सा, पारस का 1/15 हिस्सा, मांगीदेवी का 1/15 हिस्सा, दर्ज हुआ हो या बाईबर्थ उक्त कृषि जोत की भूमि में प्रार्थी का 1/15 हिस्सा आता हो, सम्पूर्ण तथ्या गलत है। प्रार्थी का यह भी लिखना गलत है कि उक्त बंटवाडा फर्जी तरिके से हुआ है। प्रार्थी को उक्त बेचान रजिस्ट्री की बखुबी जानकारी थी। प्रार्थी द्वारा गलत नजरी नक्शा पेश किया है। वास्तविक व सही नजरी नक्शा जबाब दावा के संलग्न है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है व अप्रार्थी संख्या 01 मुन्नीदेवी खींवाराम व वेनाराम हिस्से से भी ज्यादा सम्पति हडप करना चाहते हो, बल्कि अप्रार्थी संख्या 01मुन्नीदेवी अप्रार्थी संख्या 02 पुखराज, अप्रार्थी संख्या 05 वेनाराम, अप्रर्थी संख्या 06 खीवाराम, अप्रार्थी संख्या 07 नेमाराम, अप्रार्थी संख्या 8 भंवरलाल व अप्रार्थी संख्या 09 पनकी के मध्य माननीय असिस्टेन्ट कलेक्टर महोदय, से राजस्व मूल वाद 27/11 से बंटवाडा हो चुका है तथा उक्त बंटवाडा माफिक अप्रार्थी संख्या 01, 02, व 05 से 09 जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा, परिशिष्ट –क के अनुसार खसरा नम्बर 2105 पर अप्रार्थी संख्या 05 व 06 खसरा नम्बर 2105/1 अप्रार्थी संख्या 07 से 09, खसरा नम्बर 2105/2 अप्रार्थी संख्या 02, खसरा नम्बर 2105/3, अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी का है। जिसमें से अप्रार्थी संख्या 01 ने खसरा नम्बर 2105/3 का आबादी संपरिवर्तन तहसील कार्यालय में दिनांक 22.05.2014 को करवा दिया। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि खसरा नम्बर 2105, 2106, 514 का प्रार्थी उपयोग उपभोग आने जाने में	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
	अवराई, कटाई, में अप्रार्थीगण बाधा अडचन करते हो तथा प्रार्थी उक्त कृषि भूमि जो की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने का अधिकारी नही है, न ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का जन्म उसके दादा की मृत्यु के बाद हुआ है तो बाई बर्थ के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी अधिकारी नही है, न ही दिनांक 30.04.2012 व 22.05.2014 को बंटवाडा व आवादी संपरिवर्तन शुन्य घोषित करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन का पलडा प्रार्थी के पक्ष में कतई साबित नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की ईश्तदुआ की है। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादस्थ कृषि भूमि में हिन्दु उतराधिकारी नियम के तहत दादा की सम्पति में पौत्र का जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो जाता है किन्तु प्रार्थी के दादा की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 02 जो प्रार्थी के पिता है उन्होने अपने हिस्से 1/15 से अधिक भूमि 1/12 हिस्से का बेचान करने का अधिकार नही होते हुये भी 1/12 हिस्से का बैचान अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया । अब अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी कर प्रार्थी की भूमि में आने जाने का रास्ता अवरूद्ध करते हुये निर्माण कर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। जिन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी के पिता से जरिये रजिस्ट्री खसरा नम्बर 2105 रकबा 0.62 हैक्टर भूमि से 1/3 हिस्सा का 1/4 अर्थात सम्पूर्ण आराजी का 1/12 हिस्सा खरीद किया है। न्यायालय हाजा, से राजस्व मूल वाद 27/11 से बंटवाडा हो चुका है तथा उक्त बंटवाडा माफिक अप्रार्थी संख्या 01, 02, व 05 से 09 जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा, परिशिष्ट –क के अनुसार खसरा नम्बर 2105 पर अप्रार्थी संख्या 05 व 06 खसरा नम्बर 2105/1 अप्रार्थी संख्या 07 से 09, खसरा नम्बर 2105/2 अप्रार्थी संख्या 02, खसरा नम्बर 2105/3, अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी का है। जिसमें से अप्रार्थी संख्या 01 ने खसरा नम्बर 2105/3 का आबादी संपरिवर्तन तहसील कार्यालय में दिनांक 22.05.2014 को करवा दिया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत व बेबुनियाद है। प्रार्थी के दादा की मृत्यु के बाद प्रार्थी का जन्म हुआ। जिससे प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र जवाब प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है। यदि रास्ता अवरूद्ध किया गया है तो उसके लिये विधि अनुरूप पृथक से कार्य किये जाने हेतु हितबद्ध खातेदार स्वतंत्र है। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन व बलहील तथा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
	–::आदेश::– अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित आदेश 39 नियम 1–2 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी का सारहीन बलहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमिल जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो। (दौलतराम चौधरी) सहायक कलेक्टर, सोजत निर्णय आज दिनांक ०१/०३/२५ को सरे इजलासा सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया। (दौलतराम चौधरी) सहायक कलेक्टर, सोजत	

Scanned with CamScanner